राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/17 103073 जयपुर दिनांक 8.6.18

कार्यालय आदेश

वर्ष 2018–19 के वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर के तहत् महिला पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर निर्देश दिये जाते है कि नामांकित पर्यवेक्षकों को मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश देने का श्रम करे। इस संबंध में निम्न निर्देशों का ध्यान रखा जावे। **(प्रशिक्षण की अवधि 15.06.2018 से 22.06.2018 तक है) :–**

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नहीं भेजा जावे।
2. पुनश्चर्या प्रशिक्षण में ऐसी महिला पर्यवेक्षकों को नामांकित किया जावे जिसे कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो एवं पूर्व में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो।
3. यदि नामांकित पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से बचने हेतु मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे तो उस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जॉच कराई जावें।
4. पर्यवेक्षक को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर ही किया जावेगा।
5. पर्यवेक्षक के आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध होगी।
6. किसी अन्य प्रशिक्षण के कारण से पर्यवेक्षक को इस प्रशिक्षण में जाने से नहीं रोका जावे।
7. यदि कोई पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में विशेष कारणों के अलावा उपस्थित न हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
8. प्रशिक्षण में कम उपस्थिति पर संबंधित उपनिदेशक की जिम्मेदारी होगी।
9. **यदि नामांकित पर्यवेक्षक आपकी परियोजना में कार्यरत नहीं है तो संबंधित परियोजना को स्वयं के स्तर पर सूचित करे। साथ ही यदि किसी पर्यवेक्षक का नाम दुबारा नामित हुआ है या पर्यवेक्षक विशेष अवकाश अथवा विभाग में कार्यरत नही है तो उसकी जगह जिले से किसी अन्य पर्यवेक्षक को नामित कर सूचित करें।**
10. प्रशिक्षणार्थी पर्यवेक्षक के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/– आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरूष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगा।
11. पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षक के बिना सूचना व पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/17 103074–103 जयपुर दिनांक 8.6.18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर ।
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,..............................को भेजकर लेख है प्रषिक्षण में नामांकित पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण में भिजवायें, यदि पर्यवेक्षक ने स्थानान्तरण होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण नही किया है, तो उनके पुराने पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेषों को भिजवाते हुये उन्हे सूचित करें।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं ....
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर।
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में दिनांक 15.06.2018 से 22.06.2018 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षकों की सूची :–

क. सं.	नाम पर्यवेक्षक	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	प्रतिभा रानी गुप्ता	थानागाजी	अलवर
2.	शुकुन्तला शर्मा	थानागाजी	अलवर
3.	पूनम शर्मा	थानागाजी	अलवर
4.	बीना गुप्ता	अलवर	अलवर
5.	संतरा यादव	बानसूर	अलवर
6.	कृष्णा शर्मा	मुण्डावर	अलवर
7.	संगीता मीणा	रैणी	अलवर
8.	शकुन्तला ज्योतियाना	किशनगढ़ ग्रामीण	अजमेर
9.	विमलेश देठानी	पिसांगन ग्रामीण	अजमेर
10.	रेखा चौधरी	अजमेर	अजमेर
11.	अन्जू शर्मा	निवाई	टोंक
12.	कविता टेलर	निवाई	टोंक
13.	अनिता माली	टोडरसिंह	टोंक
14.	उषा पारीक	टोडरसिंह	टोंक
15.	कमलेश	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू
16.	सुमन मीणा	उदयपुरवाटी	झुन्झुनू
17.	प्रमीला निर्माण	भोपालगढ़	जोधपुर
18.	फामू देवी	लूणी	जोधपुर
19.	मीना सोनी	ओसिम	जोधपुर
20.	रजनी झाला	भिन्डर	उदयपुर
21.	रमीला देवी अहरी	सलूम्बर	उदयपुर
22.	सुलामी कालासुआ	खैरवाड़ा	उदयपुर
23.	कमलेश मेडा	राजसमन्द	राजसमन्द
24.	मधु दधीची	राजसमन्द	राजसमन्द
25.	कल्पना माथुर	रोहट	पाली